देहली प्रदेश ग्रामीण श्रम-जीवी यूनियन (पंजीकृत)

10वां वार्षिक सम्मेलन - 29 मई, 1983

(3)

मुख्य प्रस्ताव

देश के अन्य भूमिहीन गरीब ग्रामीणों और हरिजनों की तरह देहली सूबे में भी भूमिहीन मेहनतकश और हरिजन लगातार शोषण का शिकार रहा है । सरकार द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों और अन्य विकास कार्यक्रमों को पूरा न किए जाने की वजह से उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है । केन्द्रीय सरकार के नाक के ही नीचे राजधानी में 1954 में बने भूमि सुधार कानून के तहत हज़ारों एकड़ फालतू जमीन निकालने के कार्य को गांवों में निहित स्वार्थी तत्वों और कट्टरपंथी जमीदारों ने नौकरशाही, विशेषकर मालगुजारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर, चौपट कर दिया है । ठीक समय पर सही चकबंदी न होने की वजह से यही तत्व ग्राम सभा की ज़मीनों को दबाए बैठे हैं । परिणामस्वरूप इन हजारों भूमिहीन मेहनतकशों और हरिजन परिवारों में से इनी-गिनी संख्या में ही एक-एक एकड़ की जोत दी गई है । लेकिन इन जमीनों पर भी इन्हें भूमिदारी हक न देने और काश्त के लिए साधनों के अभाव के कारण कोई विशेष राहत न मिल पा रही ।

वर्ष 1975 में प्रधानमंत्री इन्दिरागांधी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अमल को नौकरशाही पर ही छोड़ दिए जाने और ग्रामीण मेहनतकशों में काम कर रही गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग को नकारने से एक अच्छे-खासे प्रोग्राम का लाभ देहात के मेहनतकशों और हरिजनों को नहीं पहुंच सका । यही हाल सरकार द्वारा घोषित अन्य प्रोग्रामों का रहा है । देहातों में निहित स्वार्थी और नौकरशाही केटोले ने इन प्रोग्रामों को लागू करने में बाधाएं डालने के लिए जातिवाद का जहर फैलाकर हरिजनों पर जुल्म ढाने का एक योजनाबद्ध प्रोग्राम चलाया हुआ है ।

ग्रामीण श्रमजीवी यूनियन संघर्ष के बल पर इन सब हमलों का सामना करते हुए अपनी शक्ति अनुसार भूमिहीनों और हरिजनों को कुछ राहत और सुविधाएं दिला पाई है ।

आम ग्रामीण बेकारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के भूत का और ज्यादा शिकार है । प्रशासन द्वारा स्वीकृत शिक्षा, चिकित्सा, आवास और यातायात आदि के प्रोग्रामों को अमल में न लाए जाने के कारण देहातवासी दिल्ली सूबे में दूसरे दर्जे का नागरिक बन गया है । देहली देहात में सरकार द्वारा

———2/-

अधिग्रहण की गई ज़मीन से सबसे ज्यादा प्रभावित यानि बेकार हुए खेतीहर मजदूरों के रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नए बीस सूत्रीय प्रोग्राम से दिल्ली देहात के भूमिहीनों और हरिजनों की कुछ आशाएं बनी हैं । इस प्रोग्राम के सही अमल के लिए देहात में काम कर रही श्रमजीवी यूनियनों और गैर सरकारी समाजसेवी संगठनों का सहयोग अनिवार्य है ।

देहली प्रदेश ग्रामीण श्रमजीवी यूनियन का यह दसवां सम्मेलन उपरोक्त स्थिति पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करता है और देहली देहात के गरीब मेहनतकशों भूमिहीनों, हरिजनों और आम जनता की फौरी समस्याओं को हल करने के लिए नीचे दर्ज मांगें पेश करता है:-

1. सीलिंग तथा ग्राम सभा की पूरी-पूरी जमीनों का भूमिहीनों में बंटवारा हो । पांच साल के पट्टे का सिस्टम समाप्त करके पूर्ण मालिकाना अधिकार दिए जाये ।
2. समस्त बेघर ग्रामीणों को रिहायशी प्लाट दिए जाएं और उन प्लाटों पर सरकार शहर की तरह मकान बनवाएं जिसके कम से कम दाम आसान किस्तों द्वारा वसूल किए जाएं ।
3. चकबंदी की आड़ में बड़े जमीदारों और भ्रष्ट नौकरशाही द्वारा हड़पी हुई जमीनें निकालकर भूमिहीनों को दी जाएं । चकबंदी के लिए बनाई जाने वाली स्थानीय कमेटियों में भूमिहीनों में काम कर रही संस्थाओं के नुमाइन्दों को भी लिया जाए ।
4. भूमिदारी अधिकारों के लिए यूनियन की मार्फत 1000 से ऊपर भेजी गई अर्जियों पर उनके हक में तुरन्त फैसला किया जाए ।
5. भूमिहीन अलाटियों और छोटी जोत वाले किसानों को अच्छे बीज, बुवाई तथा सिंचाई के लिए सस्ती दरों पर ट्रैक्टर और ट्यूबवैल से पानी की सुविधा का अलग से इंतजाम किया जाये ।
6. ग्रामीण नौजवानों की बेकारी को दूर करने के लिए छोटे-छोटे उद्योग चालू किए जाये और इन्हें चलाने के लिए इन नौजवानों को बैंकों से बिना ब्याज कर्जा दिया जाए और कच्चे माल की उपलब्धि, तैयार माल को बेचने आदि की सुविधाएं दी जाये ।
7. सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई खेती योग्य जमीनों पर शुरू किए जाने वाले उद्योग धंधों और विकास कार्यों में भूमिहीनों और बेकार देहाती

———3/-

नौजवानों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाये ।

8. सरकार द्वारा खेती योग्य अधिग्रहण जमीनों का मुआवजा बाजार-भाव के हिसाब से दिया जाये ।

9. सरकार को किसानों द्वारा लेवी पैदावार देने पर स्पेशल सर्टीफिकेट दिए जाएं जिन पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर और सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कृषि यंत्र मिल सकें ।

10. भूमिहीनों और छोटी जोत वाले किसानों को भैंस आदि खरीदने के लिए बैंकों द्वारा दिये जा रहे कर्ज़ का तरीका सरल बनाया जाए और इसकी प्राप्ति की एक अवधि निश्चित की जाए ।

11. अनुसूचित जाति (शडयूल्ड कास्ट) सर्टीफिकेट प्राप्त करने के तरीके को सरल बनाकर इसे ग्राम पंचायत के हरिजन मैम्बर और प्रधान के सही किए जाने पर भी दिया जाए । यह सर्टीफिकेट अर्जी डालने के बाद 15 दिनों के अन्दर-अन्दर दे दिया जाये ।

12. हर ब्लाक स्तर पर एक आई0टी0आई0 स्थापित किया जाए जिसमें तमाम ट्रेड सिखाने का पूरा प्रबन्ध हो ।

13. हर ब्लाक स्तर पर एक संपूर्ण रोजगार कार्यालय (इम्पलायमेंट एक्सचेंज) खोला जाए ।

14. नजफगढ़ में शीघ्र ही एक डिग्री कालेज खोला जाए जिसमें हर विषय को पढ़ाने का प्रबन्ध हो ।

15. हर सरकल में सुपर बाजार की कम से कम एक शाखा खोली जाए जिनमें जरूरत की हर वस्तु उचित दामों पर मिल सके ।

16. हर ब्लाक स्तर पर कम से कम एक 100 बिस्तर का अस्पताल खोला जाए जिसमें प्रसूतिगृह की सुविधा भी उपलब्ध हो ।

17. समस्त ग्रामों में बिजली, पीने का पानी, पक्की सड़कों और सफाई का उचित प्रबन्ध किया जाये ।

18. लाल-डोरे की हद को गांवों में बढ़ी आबादी, मौजूदा और भविष्य में जरूरतों को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाये ।

19. न्यूनतम वेतन कानून को गांवों में पूरी तरह लागू किया जाए ।